निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

जनवरी 19, 2018

परिसमापक द्वारा तैयार किए गए दावों में अज्ञात (रोके गए) जमाकर्ता

डीआईसीजीसी, परिसमापक द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 और 18 के अनुसार तैयार किए गए दावों का निपटान करता है। डीआईसीजीसी के दावा निपटान निर्देशों के अनुसार परिसमापक दावा प्रस्तुत करते हैं और सीए द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद डीआईसीजीसी द्वारा दावों का निपटान किया जाता है। यह देखा गया है कि जमाकर्ताओं के खातों की उपलब्धता न होने/ सत्यापन न होने के कारण कुछ दावे 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी डीआईसीजीसी को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और भुगतान नहीं किया गया है। मामले की चर्चा सभी राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयकों (आरसीएस) से की गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया किए जाने और सभी जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान किए जाने हेतु विधिवत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ऐसे बैंकों के नाम वेबसाईट पर भी दर्शाए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी अज्ञात जमाकर्ताओं को दीर्घ अवधि के लिए लंबित भुगतान नहीं कर सकेगा जब तक कि दावा परिसमापक द्वारा प्रमाणित न किया गया हो या डीआईसीजीसी को एक यथोचित अवधि के भीतर प्राप्त न हुआ हो और आरसीएस से देरी के स्पष्ट कारणों सहित विशेष अनुमोदन प्राप्त न हुआ हो और निर्दिष्ट केवाईसी मानदण्डों तथा दावा निपटान प्रक्रिया के अनुसार विधिवत सत्यापित न किया गया हो।

वी जी वेंकट चलपथी
महाप्रबन्धक

प्रेस विज्ञप्ति : 2017-18

January 19, 2018

Unidentifiable (Withheld) depositors in claims prepared by Liquidators

DICGC settles claim prepared by liquidator in terms of provision 17 and 18 of DICGC Act, 1961. The liquidators submit the claims as per DICGC's claim settlement instructions and on verification by CA the claims are settled by DICGC. It is observed that due to non-availability/non verifiable depositor's accounts some of the claims have not been submitted to DICGC and not paid even after a long period of 10 years. The matter was discussed with the Registrar of Cooperative Societies (RCS) of all the states and guidelines issued duly to take up the liquidation process and pay all depositors in time as per Act provisions. The names of such banks has also been placed on the web site. It has been decided that keeping in mind the provisions in the State Cooperative Societies Act, DICGC will not be in a position to pay the unidentifiable depositors outstanding for long period, unless claim is certified by the liquidator and received by DICGC within the reasonable period and specific approval of RCS is obtained stating reasons for delay and duly verified as per specific KYC norms and claim settlement procedure.

V G Venkata Chalapathy
General Manager

Press Release: 2017-18